




फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
 भारतीय स्टेट बैंक बनाम मैसेर्स अग्रवाल फैंन्शी स्टोर  
 प्रकरण संख्या 492/2019 ( धारा 14 शिक्थोरिटाईजेशन एक्ट )

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
30.07.2020	<p>प्रार्थी वित्तीय संस्था-बैंक ने सरफेशी अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्थान-बैंक के पक्ष में बन्धक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने वावत प्रार्थना पत्र पेश किया है। न्यायहित में अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड सूचना पत्र जारी किया जाकर पत्रावली दिनांक 18.08.2020 को पेश हो।</p>	
18-08-20	<p style="text-align: center;">   <b>जिला मजिस्ट्रेट</b>                  (कलक्टर) जयपुर             </p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्राची उपस्थित है। विपक्षी स्याक्विशन उपस्थित है। वकील प्राची ने नोट प्रेस किया है। विपक्षी प्रार्थी ने बैंक द्वारा जारी नॉट प्रेस की फोटो प्रति पेश की है। नोट प्रेस पर विपक्षी सहमत है। कतः प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा नोट प्रेस किये जाने से प्रा. पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम है।</p> <p style="text-align: center;">   <b>जिला मजिस्ट्रेट</b>                  (कलक्टर) जयपुर             </p>	<p>Not Processed                    Adv. Satyendra                  Kholari                  S.B.I.</p>